



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जून, 2024 ई० (आषाढ़ 01, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-25

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु० 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	547—551	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	235—239	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	43—45	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

05 जून, 2024 ई0

संख्या 16/नो0एम0/XXXVI-A-1/2024-11 नो0एम0/2016-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती पूनम राणा, अधिवक्ता को दिनांक 05-06-2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती पूनम राणा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 16/No.-M/XXXVI-A-1/2024-11 No.-M/2016, dated June 05, 2024.

NOTIFICATIONAppointment

June 05, 2024

No. 16/No.-M/XXXVI-A-1/2024-11 No.-M/2016--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mrs. Poonam Rana, Advocate as Notary for a period of Five years with effect from 05-06-2024 for Tehsil Khatima, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mrs. Poonam Rana be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

05 जून, 2024 ई0

संख्या 17/नो0डी0/XXXVI-A-1/2024-15 नो0डी0/2023-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुभाष चन्द्र जोशी, अधिवक्ता को दिनांक 05-06-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील बीरोंखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुभाष चन्द्र जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 17/No.-D/XXXVI-A-1/2024-15 No.-D/2023**, dated June 05, 2024:

NOTIFICATION

Appointment

June 05, 2024

No. 17/No.-D/XXXVI-A-1/2024-15 No.-D/2023—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Subhash Chandra Joshi, Advocate as Notary for a period of Five years with effect from 05-06-2024 for Tehsil Beeronkhal, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Subhash chandra Joshi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

05 जून, 2024 ई०

संख्या 18/नो०डी०/XXXVI-A-1/2024-13 नो०डी०/2023—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री देवकी नन्दन शाह, अधिवक्ता को दिनांक 05-06-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री देवकी नन्दन शाह का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 18/No-D/XXXVI-A-1/2024-13 No.-D/2023**, dated June 05, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

June 05, 2024

No. 18/No-D/XXXVI-A-1/2024-13 No.-D/2023—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Devki Nandan Shah, Advocate as Notary for a period of Five years with effect from 05-06-2024 for Tehsil Satpuli, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Devki Nandan Shah be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

18 जून, 2024 ई०

संख्या 330/XVIII(3)/2024-03(01)/2023-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या-505/XVIII(3)/2023-03(01)/2023 दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
देहरादून	देहरादून	पछवादून	गुनियाल गांव

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 330/XVIII(3)/2024-03(01)/2023 dated June 18, 2024 for general information.

NOTIFICATION

June 18, 2024

No. 330/XVIII(3)/2024-03(01)/2023--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 505/XVIII(3)/2023-03(01)/2023 dated 21 August, 2023 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Dehradun	Dehradun	Pachhuwadun	Guniyal Gaon

By Order,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary, Revenue.

उच्च शिक्षा अनुभाग-4
नाम संशोधन के सम्बन्ध में
21 जून, 2024 ई०

संख्या 362/XXIV-C-4/2024-25(02)/2021-

अवगत कराना है कि अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन का पासपोर्ट संख्या-B9070344 विजय ममगाई के नाम से निर्गत किया गया है, जबकि इनका अभिलेखों में वास्तविक नाम विजय कुमार ममगाई है।

2. अतः अनुरोध है कि इनका वास्तविक नाम विजय कुमार ममगाई (VIJAY KUMAR MAMGAI) पुत्र स्व० श्री नन्दा बल्लभ ममगाई (NANDA BALLABH MAMGAIN) पढ़ा जाय, लिखा जाय, बोला जाय।

दीपक कुमार,
अनु सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जून, 2024 ई० (आषाढ़ 01, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 02, 2024

No. 234/UHC/Admin.A/2024--Hon'ble Court is Pleased to inform that the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital will be implementing a Live Streaming feature for Court Proceedings for the Courts of Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari and Hon'ble Mr. Justice Ravindra Maithani effective from 03.06.2024. This initiative is aimed at fostering transparency and accessibility to Justice, allowing interested parties and the public to observe hearing remotely accessible to the public through the official website of the Hon'ble Court.

The Live Streaming service will provide an opportunity for individuals, legal practitioners, researchers, and the general public to witness Court Proceedings without physically being present in the Court room. This will not only enhance transparency but also promote accountability and understanding of the legal process.

Since this is the testing and Commissioning phase, certain proceedings may not be eligible for live streaming due to legal constraints or privacy concerns. However, at the later stage the majority of hearings will be accessible through this platform.

We encourage all stakeholders to utilize this facility responsibly and to adhere to the guidelines and protocols established for Live Streaming. Unauthorized recording or dissemination of court proceedings is strictly prohibited and may result in legal consequences.

Further details regarding the implementation of live streaming, including access instructions and archival record, will be communicated in due course.

By Order of the Court,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

11th June, 2024

No. 235/UHC/Admin.A./2024--Sri Harsh Singh Jeena, Joint Registrar-I of the Court is hereby designated as "State Public Information Officer" (*under the Right to Information Act-2005*) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital with immediate effect in addition to his present duties.

The Link Officers of the S.P.I.O. of the Court shall remain same.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

June 03, 2024

(Handing over)

For earned leave

No. 2815/UHC/Admin.A-2/2024--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 22.05.2024 after Court hours for availing leave of 08 days w.e.f. 24.05.2024 to 31.05.2024 with permission to prefix 23.05.2024 as Budh Purnima holiday and suffix 01.06.2024 & 02.06.2024 as holidays.

KAHKASHA KHAN,

(Registrar Vigilance)

U.H.C. Nainital.

Countersigned,

.illegible

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

June 03, 2024

After earned leave

No. 2816/UHC/Admin.A-2/2024--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 03.06.2024 after availing earned leave of 08 days w.e.f. 24.05.2024 to 31.05.2024 with permission to prefix 23.05.2024 as Budh Purnima holiday and suffix 01.06.2024 & 02.06.2024 as holidays.

KAHKASHA KHAN,

Registrar (Vigilance)

U.H.C. Nainital.

Countersigned,

illegible

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

23 अप्रैल, 2024 ई०

पत्रांक 473/पंजीयन निरस्त/2023-24—वाहन संख्या UK04CB2091 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 396522KTZ225866 इंजन न० 60K62516721 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री विक्रम चन्द रजवार पुत्र श्री देवेन्द्र चन्द निवासी—श्रीपुरविचवा, खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 10/04/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.04.2024 को वाहन संख्या UK04CB2091 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 396522KTZ225866 इंजन न० 60K62516721 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

25 अप्रैल, 2024 ई0

पत्रांक 483/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK04CB4642 (MAXI CAB) मॉडल 2004 चैचिस 373141BVZ105434 इंजन न0 697TC48BVZ103880 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री नरेश सिंह फर्त्याल पुत्र श्री शिवराज सिंह फर्त्याल निवासी-कर्णकरायत लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/04/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 25.04.2024 को वाहन संख्या UK04CB4642 (MAXI CAB) मॉडल 2004 चैचिस 373141BVZ105434 इंजन न0 697TC48BVZ103880 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

24 अप्रैल, 2024 ई0

पत्रांक 497/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK03B7115 (HGV) मॉडल 1998 चैचिस 1235926 इंजन न0 1693480 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री बसन्त बल्लभ पुत्र श्री नारायण दत्त निवासी-ग्राम जौल पोस्ट-टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 07/02/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.04.2024 को वाहन संख्या UK03B7115 (HGV) मॉडल 1998 चैचिस 1235926 इंजन न0 1693480 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 अप्रैल, 2024 ई0

पत्रांक 498/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK03TA0939 (MAXI CAB) मॉडल 2015 चैचिस MA3EUA61S00768787 इंजन न0 F8DN5542949 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन फईम अहमद पुत्र अशफाक निवासी-वार्ड नम्बर 05 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.04.2024 को वाहन संख्या UK03TA0939 (MAXI CAB) मॉडल 2015 चैचिस MA3EUA61S00768787 इंजन न० F8DN5542949 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 जून, 2024 ई० (आषाढ़ 01, 1946 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक : 13 जून, 2024 ई०

संख्या 52/2024/एसडीआर/खंड-II-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्टूबर, 2019, का. आ. सं. 3778 (अ) दिनांक 23 अगस्त, 2023 एवं का. आ. सं. 995 (अ) दिनांक 1 मार्च, 2024 के जरिए यथा-संशोधित और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 14-06-2024 को अधिसूचित होने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

NOTIFICATION13th June, 2024

No. 52/2024/SDR/Vol.II--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 85 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the current bye elections to 13 Assembly Constituencies in Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Punjab and Himachal Pradesh, to be notified on 14.06.2024 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notifications SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, SO No. 3778(E), dated 23rd August, 2023 and SO No. 995(E), dated 1st March, 2024.

अधिसूचना

दिनांक : 13 जून, 2024 ई०

संख्या 52/2024/एसडीआर/खंड-II-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 14-06-2024 को अधिसूचित होने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,
एस०बी० जोशी,
प्रधान सचिव।

डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION13th June, 2024

No. 52/2024/SDR/Vol.II--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of his request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the current bye elections to 13 Assembly Constituencies in Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Punjab and Himachal Pradesh, Scheduled to be notified on 14.06.2024 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification. SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020, read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order,

S.B. JOSHI,

Principal Secretary.

Dr. B.V.R.C. PURUSHOTTAM,

Chief Electoral Officer,

Uttarakhand.